**संख्या-130/2019/2269/22-2-2019-17(979)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर ,2019***

विषय:- जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री रतीराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.07.2019) दिनांक-08.08.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री रतीराम जो लोको कालोनी, कस्बा व थाना-कासगंज, मूल निवासी-काधेमई, थाना-नवाबगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने वादी व उसके बच्चों के मध्य आपस में झगड़ा होने के कारण दिनांक 20.05.2003 को समय करीब 2:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी तमंचा व लाठी से मारकर शैलेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-546/2003 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 325/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 13.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, परिजनों में आक्रोश व्याप्त होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने वादी व उसके बच्चों के मध्य आपस में झगड़ा होने के कारण दिनांक 20.05.2003 को समय करीब 2:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी तमंचा व लाठी से मारकर शैलेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री रतीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू (बन्दी संख्या-254/2010) पुत्र श्री रतीराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-130/2019/2269(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-130/2019/2269/22-2-2019-17(979)/2019**

**दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री रतीराम जो लोको कालोनी, कस्बा व थाना-कासगंज, मूल निवासी-काधेमई, थाना-नवाबगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने वादी व उसके बच्चों के मध्य आपस में झगड़ा होने के कारण दिनांक 20.05.2003 को समय करीब 2:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी तमंचा व लाठी से मारकर शैलेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-546/2003 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 325/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 13.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, परिजनों में आक्रोश व्याप्त होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने वादी व उसके बच्चों के मध्य आपस में झगड़ा होने के कारण दिनांक 20.05.2003 को समय करीब 2:30 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी तमंचा व लाठी से मारकर शैलेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी व 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री रतीराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in